

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प. 4(56)वित्त-1(1)आय.व्य/2016

जयपुर, दिनांक : 27.3.2018

कोषाधिकारी
उदयपुर।

स्वीकृति संख्या- 933/2017-18

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रुपये 120.00 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.5/अभि./कालेज छात्रावास/सीटीएडी/2017-18 स्वीकृति संख्या 86/2017-18 दिनांक 27.03.2018 में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी खाते में राशि रुपये 120.00 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ बीस लाख) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या-30

4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(20) - जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)


[02] - जनजाति छात्र/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण

17 - वृहद निर्माण कार्य(राज्य निधि)

राशि रुपये 120.00 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिये ही किया जावेगा किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,


(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/ लेखा परीक्षा- प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
4. संयुक्त निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC को भेजकर लेख है कि उक्त बजट शीर्ष LOC मॉडल पर होने के कारण उक्त राशि सा.नि.वि. से प्रत्याहरित कर विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वित्त (बजट) विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त बजट शीर्ष LOC मॉडल पर होने के कारण उक्त राशि सा.नि.वि. से प्रत्याहरित कर विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे।
7. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, वित्त (बजट)